नामनिर्देशन–पत्रों की प्रस्तुति और संवीक्षा

तथा

प्रतीक आवंटन

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन की सूचना

नगरीय निकाय के महापौर/अध्यक्ष/पार्षद पद के निर्वाचन की सूचना,

जारीकर्ता जिला निर्वाचन अधिकारी (न.पा.) द्वारा प्रारूप–2 में

इस सूचना में

- नाम निर्देशन पत्र **प्रस्तुत** करने का स्थान अंतिम तारीख और समय
- नाम निर्देशन पत्रों की **संवीक्षा** का स्थान तारीख और समय
- अभ्यर्थिता **वापस** लेने का स्थान अंतिम तारीख और समय
- **मतदान** (यदि आवश्यक हुआ तो) की तारीख और समय
- **मतगणना** का स्थान तारीख और समय विर्निदिष्ट किया जावेगा

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन

❖ जिला निर्वाचन अधिकारी

❖ रिटर्निंग अधिकारी का कार्यालय

❖ संबंधित ग्राम पंचायत

के कार्यालय के सूचना फलक पर

निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन

- ✓ निर्वाचन की सूचना प्ररूप–2 के प्रकाशन के साथ–साथ प्रत्येक स्थान के मामले में, जिसके लिये निर्वाचन होना है, आरक्षण की स्थिति दर्शाते हुये प्ररूप–2 क में सूचना भी प्रकाशित की जायेगी।
- ✓ साथ ही मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन किया जावेगा।

नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के पूर्व की तैयारी

:: रिटर्निंग अधिकारी को निर्वाचन की सूचना प्रकाशन से पूर्व आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करना ::

- ✓ अधिनियम, नियम एवं अन्य पुस्तके.
- ✓ मतदाता सूचियों की अभिप्रमाणित प्रतियॉ दो प्रति में.
- ✓ विभिन्न मुद्रित प्ररूप :– प्ररूप 3, 4, 5, 6, 7, 10, शपथ–पत्र
- ✓ नमूना हस्ताक्षर का प्रपत्र, व्यय लेखा रजिस्टर.
- ✓ निक्षेप राशि हेतु रसीद कट्‌टा.
- ✓ रजिस्टर, कोरे कागज, कार्बन, पिन आदि.
- ✓ कम्प्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, इंटरनेट आदि.

नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के पूर्व की तैयारी

:: कार्य विभाजन एवं कर्मचारियों का चयन ::

- ✓ मतदाता सूची का प्रदर्शन कार्य.
- ✓ कोरे नामनिर्देशन पत्र का वितरण एवं निक्षेप जमा कार्य.
- ✓ नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुति पर प्रारम्भिक जॉच कार्य.
- ✓ अभ्यर्थी को विभिन्न दस्तावेज प्रदान करना व नमूना हस्ताक्षर प्राप्ति का कार्य.
- ✓ आयोग की वेबसाइट पर प्रतिदिन जानकारी भेजना.

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना

- सूचना के प्रकाशन की तारीख से ही नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का कार्य प्रारम्भ हो जायेगा.
- कोई भी अभ्यर्थी या उसका प्रस्तावक अपना नाम निर्देशन पत्र सूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद सातवें दिन तक प्रस्तुत कर सकता है.
- सार्वजनिक अवकाश के दिन नाम निर्देशन पत्र प्राप्त नही करना है.
- यदि सातवां दिन सार्वजनिक अवकाश है तो अगला दिन सातवां दिन माना जायेगा.

नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना

- **सार्वजनिक अवकाश** से आशय केवल उसी अवकाश दिवस से है जो कि राज्य शासन द्वारा अपने कार्यालयों के साथ साथ शासकीय कोषालयों एवं उप कोषालयों के लिये भी घोषित किया गया है
- यदि कोई अवकाश कोषालयों एवं उप कोषालयों के लिये नही है, तो उसे सार्वजनिक अवकाश नही माना जायेगा, भले ही अन्य शासकीय कार्यालय के लिये वह अवकाश का दिन हो

नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना

- ✓ नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का समय 10.30 बजे पूर्वान्ह से 3.00 बजे अपरान्ह के बीच होगा
- ✓ नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति के अंतिम दिवस 3.00 बजे रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में जितने व्यक्ति उपस्थित हों उन्हें उपस्थिति पर्ची दे दी जावे, और उन्हीं व्यक्तियों के नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किये जावें

प्ररूप —3

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

नगरपालिका निर्वाचन

प्ररूप–3

(नियम–24(2) देखिये)

नामनिर्देशन पत्र

मैं प्रस्तावक, * नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर परिषद निर्वाचन के लिए निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट करता/करती हूँ :–

निर्वाचन के पद का विवरण

जिला	
* नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर परिषद का नाम	
* पद का नाम, जिसके निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी को नाम निर्दिष्ट किया जा रहा है.	पार्षद
पार्षद के लिए नामनिर्देशन की स्थिति में सम्बंधित वार्ड का क्रमांक	

अभ्यर्थी का हाल ही में खींचा गया स्टाम्प आकार का फोटो (2 से.मी.X 2.5से.मी.), जिसमें इस बॉक्स के भीतर पूरे चेहरे के सामने की आकृति स्पष्ट हो, चिपकाने के लिए

अभ्यर्थी का विवरण

1.	अभ्यर्थी का पूरा नाम (हिन्दी में)			
2.	* लिंग	पुरूष	महिला	अन्य
3.	अभ्यर्थी के पिता/पति का नाम			
4.	अभ्यर्थी के डाक का पूरा पता			

5. अभ्यर्थी का नाम मतदाता सूची में दर्ज होने का विवरण

* नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद /नगर परिषद का वार्ड क्रमांक	मतदाता सूची का भाग अनुक्रमांक	मतदाता क्रमांक

प्रस्तावक का विवरण

6.	प्रस्तावक का पूरा नाम (हिन्दी में)										
7.	* लिंग	पुरूष			महिला			अन्य			
8.	प्रस्तावक के पिता/पति का नाम										
9.	प्रस्तावक के डाक का पूरा पता										
10.	प्रस्तावक का मोबाईल नम्बर										

11. प्रस्तावक का नाम मतदाता सूची में दर्ज होने का विवरण

* नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद/नगर परिषद का वार्ड क्रमांक	मतदाता सूची का भाग अनुक्रमांक	मतदाता क्रमांक

*जो लागू न हो उसे काट दें.

दिनांक

प्रस्तावक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

नाम ....

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

प्ररूप—3

अभ्यर्थी द्वारा नामनिर्देशन की सम्मति

मैं ऊपर नामित अभ्यर्थी इस नाम निर्देशन को अपनी सम्मति देता/देती हूँ और मेरे बारे में आवश्यक जानकारियाँ निम्नानुसार है :—

12.	जन्मतिथि	
13.	संवीक्षा तिथि को पूर्ण होने वाली आयु (वर्ष में)	
14.	जाति अथवा वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	
15.	जाति का नाम आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की स्थिति में	
16.	जाति के लिए अधिसूचित जिले का नाम	
17.	**राजनैतिक दल का नाम, जिसके द्वारा निर्वाचन में खड़ा किया गया है	
18.	अधिमान क्रम में चुने गये प्रतीक चिन्ह	1. 2. 3.
19.	मतपत्र में मुद्रित किये जाने वाला नाम (हिन्दी में)	
20.	मतपत्र में मुद्रित किये जाने वाले अभ्यर्थी के नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग	
21.	अभ्यर्थी का मोबाईल नम्बर	

मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार ऊपरवर्णित जानकारी सत्य है तथा मैं उपर्युक्त *नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगरपरिषद् के पार्षद् के स्थान के लिए चुने जाने हेतु अर्हित हूँ और निरर्हित नहीं हूँ।

दिनांक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
नाम

नामनिर्देशन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज़

क्रमांक	दस्तावेज़ का विवरण	संलग्न (हाँ/नहीं)
1.	मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम–24(क) के तहत् आपराधिक पूर्ववृत्त, आस्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हता घोषित करने के सम्बंध में निर्धारित प्ररूप में शपथपत्र दो हस्ताक्षरित अतिरिक्त प्रति के साथ.	
2.	राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किये जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम–31(2) के तहत् प्ररूप–8	
3.	राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किये जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम–31(2) के तहत् प्ररूप–9	
4.	आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की स्थिति में मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र की प्रति	
5.	प्रतिभूति राशि जमा किये जाने की रसीद.	
6.	*मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा-17/मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा-35 के अंतर्गत विद्युत कम्पनी का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाणपत्र.	
7.	*मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा-17/मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा-35 के अंतर्गत *नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगरपरिषद् का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाणपत्र.	
8.	मतपत्र पर मुद्रित करने के लिए अभ्यर्थी का स्टाम्प आकार का एक अतिरिक्त रंगीन फोटोग्राफ.	
9.	अन्य –	
10.	अन्य –	

*लागू न होने वाला शब्द काट दीजिये.
**राजनैतिक दल द्वारा खड़ा न किये जाने की स्थिति में सम्मुख कॉलम में "निर्दलीय" अंकित कीजिए.

दिनांक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
नाम

प्ररूप—3

अभ्यर्थी द्वारा नामनिर्देशन की सम्मति

मैं ऊपर नामित अभ्यर्थी इस नाम निर्देशन को अपनी सम्मति देता/देती हूँ और मेरे बारे में आवश्यक जानकारियाँ निम्नानुसार है :—

12.	जन्मतिथि	
13.	संवीक्षा तिथि को पूर्ण होने वाली आयु (वर्ष में)	
14.	जाति अथवा वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	
15.	जाति का नाम आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की स्थिति में	
16.	जाति के लिए अधिसूचित जिले का नाम	
17.	**राजनैतिक दल का नाम, जिसके द्वारा निर्वाचन में खड़ा किया गया है	
18.	अधिमान क्रम में चुने गये प्रतीक चिन्ह	1. 2. 3.
19.	मतपत्र में मुद्रित किये जाने वाला नाम (हिन्दी में)	
20.	मतपत्र में मुद्रित किये जाने वाले अभ्यर्थी के नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग	
21.	अभ्यर्थी का मोबाईल नम्बर	

मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार ऊपरवर्णित जानकारी सत्य है तथा मैं उपर्युक्त *नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगरपरिषद् के पार्षद् के स्थान के लिए चुने जाने हेतु अर्हित हूँ और निरर्हित नहीं हूँ।

दिनांक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
नाम

नामनिर्देशन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज़

क्रमांक	दस्तावेज़ का विवरण	संलग्न (हाँ/नहीं)
1.	मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम–24(क) के तहत् आपराधिक पूर्ववृत्त, आस्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हता घोषित करने के सम्बंध में निर्धारित प्ररूप में शपथपत्र दो हस्ताक्षरित अतिरिक्त प्रति के साथ.	
2.	राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किये जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम–31(2) के तहत् प्ररूप–8	
3.	राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किये जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम–31(2) के तहत् प्ररूप–9	
4.	आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की स्थिति में मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र की प्रति	
5.	प्रतिभूति राशि जमा किये जाने की रसीद.	
6.	*मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा-17/मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा-35 के अंतर्गत विद्युत कम्पनी का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाणपत्र.	
7.	*मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा-17/मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा-35 के अंतर्गत *नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगरपरिषद् का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाणपत्र.	
8.	मतपत्र पर मुद्रित करने के लिए अभ्यर्थी का स्टाम्प आकार का एक अतिरिक्त रंगीन फोटोग्राफ.	
9.	अन्य –	
10.	अन्य –	

*लागू न होने वाला शब्द काट दीजिये.
**राजनैतिक दल द्वारा खड़ा न किये जाने की स्थिति में सम्मुख कॉलम में "निर्दलीय" अंकित कीजिए.

दिनांक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
नाम

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

प्ररूप–3

(रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भरा जाये)

1.	नामनिर्देशन का क्रमांक		
2.	रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन प्रस्तुत करने की तारीख		
3.	रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन प्रस्तुत करने का समय		
4.	*रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति	अभ्यर्थी	प्रस्तावक

नामनिर्देशन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज़ों का विवरण, जिसके सम्बंध में अभ्यर्थी को पावती दी गई है.

(कॉलम क्रमांक–3 एवं 4 में वही जानकारी अंकित की जाये जो अभ्यर्थी की पावती में अंकित की गई है.)

क्रमांक	दस्तावेज़ का विवरण	संलग्न (हाँ/नहीं)	यदि संलग्न नहीं है तो उक्त दस्तावेज़ रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करने की समयसीमा	
			दिनांक एवं समय	अवसर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम–24(क) के तहत् आपराधिक पूर्ववृत्त, आस्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हता घोषित करने के सम्बंध में निर्धारित प्ररूप में शपथपत्र दो हस्ताक्षरित अतिरिक्त प्रति के साथ.		शपथपत्र, रिटर्निंग ऑफिसर को नामनिर्देशन पत्र परिदत्त करते समय ही प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है.	
2	राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किये जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम–31(2) के तहत् प्ररूप–8			नामवापसी के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
3.	राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किये जाने की स्थिति में मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम–31(2) के तहत् प्ररूप–9			नामवापसी के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
4.	आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की स्थिति में मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र की प्रति.			संवीक्षा के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
5.	प्रतिभूति राशि जमा किये जाने की रसीद.		प्रतिभूति राशि जमा किये जाने की रसीद, रिटर्निंग ऑफिसर को नामनिर्देशन पत्र परिदत्त करते समय ही प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है.	
6.	*मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा–17/मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा–35 के अंतर्गत विद्युत कम्पनी का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाणपत्र.			संवीक्षा के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
7.	*मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा–17/मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा–35 के अंतर्गत *नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगरपरिषद् का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाणपत्र.			संवीक्षा के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
8.	मतपत्र पर मुद्रित करने के लिए अभ्यर्थी का स्टाम्प आकार का एक अतिरिक्त रंगीन फोटोग्राफ.			नामवापसी के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
9.	अन्य –			
10.	अन्य –			

*जो लागू न हो उसे काट दें.

दिनांक

रिटर्निंग ऑफिसर (नगर पालिका) के हस्ताक्षर

नाम

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

निक्षेप राशि

- अध्यक्ष या पार्षद पद के लिये कोई व्यक्ति अधिकतम दो ही नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है.
- जब किसी व्यक्ति के द्वारा एक स्थान के लिये दो नाम निर्देशन पत्र जमा किये जायें तो उससे एक से अधिक निक्षेप की राशि प्राप्त नहीं करना चाहिये.
- लेकिन यदि कोई व्यक्ति अध्यक्ष और पार्षद दोनों पदों के लिये नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करता है तब वह दोनों पदों के लिये निक्षेप की राशि जमा करेगा.

निक्षेप राशि

निक्षेप राशि पार्षद पद हेतु

- नगर परिषद के पार्षद पद के लिये 1000
- नगर पालिका परिषद के पार्षद पद के लिये 3000
- नगर पालिक निगम पार्षद पद के लिये 5000

निक्षेप राशि महापौर/अध्यक्ष पद हेतु

- नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिये 10000
- नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिये 15000
- नगर पालिक निगम के महापौर पद के लिये 20000

अजा/अजजा/अपिव/महिला अभ्यर्थियों के लिये निक्षेप की राशि का आधा भाग जमा करना होगा

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

निक्षेप राशि

- पंच – 400 रू
- सरपंच – 2000 रू
- जनपद सदस्य – 4000 रू
- जिला पंचायत सदस्य – 8000 रू

अजा/अजजा/अपिव/महिला अभ्यर्थियों के लिये निक्षेप की राशि का आधा भाग जमा करना होगा

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

शपथ पत्र

नगरीय निकाय	पंचायत
अध्यक्ष / महापौर	पंच – घोषणा पत्र
पार्षद	सरपंच/जनपद सदस्य/ जिला पंचायत सदस्य – शपथ पत्र

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

शपथ पत्र

- ✓ **प्रत्येक अभ्यर्थी – आपराधिक पूर्ववृत्त, आस्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हता की घोषणा** –

(क) किसी लंबित आपराधिक मामले, जिसमें वह आरोपित है और किसी निपटाए गए आपराधिक मामले, जिसमें वह सिद्धदोष ठहराया गया है,

(ख) जंगम तथा स्थावर सम्पत्ति, जिसका/जिसमें वह स्वयं, उसका पति या पत्नि तथा उसके आश्रित बालक, संयुक्ततः या पृथकतः स्वामी या हिताधिकारी है;

(**आश्रित बालक** *से अभिप्रेत है ऐसे पुत्र तथा पुत्रियां जिनके पास उपार्जन का कोई पृथक साधन नही है, और जो जीविका के लिए अभ्यर्थी पर पूर्णतः आश्रित हैं*)

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

शपथ पत्र

(ग) किसी लोक वित्तीय संस्था के प्रति उसके दायित्व (लोक वित्तीय संस्था से अभिप्रेत है कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 4–ए के अर्थ के अंर्तगत् कोई लोक वित्तीय संस्था और उसके अंर्तगत् आता है बैंक)

(घ) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के प्रति उसके दायित्व

(इ) शैक्षणिक अर्हता जो वह रखता है, शपथ पत्र में देगा

- ✓ शपथ पत्र निर्धारित शुल्क के स्टाम्प पर प्रस्तुत किया जावेगा
- ✓ यह अभ्यर्थी द्वारा सत्यापित व मजिस्ट्रेट/शपथ आयुक्त/ नोटरी के समक्ष शपथित होगा

शपथ पत्र

- ✓ शपथ पत्र का प्रत्येक कालम भरा जावे और यदि किसी कालम की जानकारी निरंक है तो उस कालम में ''निरंक'' अंकित किया जावे.
- ✓ शपथ पत्र की दो हस्ताक्षरित अतिरिक्त प्रतियां भी प्राप्त की जावे.
- ✓ शपथ पत्र प्रस्तुत न किए जाने की दशा में नाम निर्देशन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा.
- ✓ शपथ पत्र की एक प्रति का प्रदर्शन रिटर्निंग अधिकारी के नोटिस बोर्ड पर किया जावेगा.
- ✓ शपथ पत्र का प्रसार मीडिया के माध्यम से भी किया जावे.

शपथ पत्र

- ✓ शपथ पत्र की प्रति मांगे जाने पर एक रूपया प्रति पृष्ठ के मूल्य पर प्रदान की जावे.
- ✓ यदि कोई निर्वाचक किसी अभ्यर्थी के शपथ पत्र में दी गई जानकारी के विरूद्ध शपथ पत्र प्रस्तुत करता है , तो उसकी प्रति भी रिटर्निंग अधिकारी के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जावे , और उसका प्रसार मीडिया के माध्यम से किया जावे.

नाम निर्देशन पत्रों की प्रारंभिक जॉच

- नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करते ही उस पर क्रमॉक, प्राप्त करने की तारीख और समय अंकित किया जावे साथ ही यह भी अंकित किया जावे की नाम निर्देशन पत्र किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है (अर्थात् अभ्यर्थी/प्रस्तावक का नाम)
- किसी अभ्यर्थी के प्रथम नाम निर्देशन पत्र पर कोष्टक में (1) लिखा जावे, यदि वही अभ्यर्थी अपना दूसरा नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे पूर्व का क्रमॉक देकर कोष्टक में (2) अंकित कर दिया जावे
- जैसे – अभ्यर्थी x के द्वारा पहला नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने पर उसे क्रमांक–3 (1) दिया, यदि उसी अभ्यर्थी ने दूसरा नाम निर्देशन पत्र जमा किया है तो उसे क्रमॉक–3 (2) दिया जावेगा

नाम निर्देशन पत्रों की प्रारंभिक जॉच

- नाम निर्देशन पत्र में अभ्यर्थी और प्रस्तावक का **मतदाता क्रमांक** सही भरा गया है, इसकी जॉच कर लें, यदि ऐसा न हो तो उसे त्रुटि सुधारने के लिये कहें.
- नाम निर्देशन पत्र में **ओवर राईटिंग** हो तो प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर कर सत्यापित करवा लें.
- यदि अभ्यर्थी **आरक्षित वर्ग** से है तो संगत स्थान पर उसने अपनी जाति भरी है या नही इसकी जॉच कर लें, न भरे होने की स्थिति में भरने के लिये कहें.

नाम निर्देशन पत्रों की प्रारंभिक जॉच

- नाम निर्देशन पत्र के क्रमांक 12 मे अभ्यर्थी ने अपनी जन्मतिथि व क्रमांक 13 में उम्र भरी है या नही उसकी जॉच कर लें.
- क्रमांक 18 में वांछित **प्रतीक चिन्हों** का अधिमान क्रम भरा जाना है, निदर्लीय उम्मीदवारों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करें.
- **क्रमांक 19** में अभ्यर्थी जिस रूप में **मतपत्र में अपना नाम** अंकित कराना चाहता है, का लेख किया गया है, अभ्यर्थी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करावें, इसी प्रकार **क्रमांक 20** में अभ्यर्थी का नाम अंग्रेजी में लिखा जाना है इस ओर उसका ध्यान आकृष्ट करें.

नाम निर्देशन पत्रों की प्रारंभिक जॉच

- अभ्यर्थी के द्वारा जमा निक्षेप की रसीद आवेदन के साथ रखें.
- अभ्यर्थी के द्वारा विहित प्ररूप में शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है और शपथ पत्र के सभी कॉलमों की पूर्ति की है, कि जॉच करें। यदि शपथ पत्र के कॉलमों की पूर्ति न की हो तो ऐसा करने के लिये कहें, यहॉ तक कि यदि किसी कॉलम की जानकारी शून्य है तो उस कॉलम में **निरंक** शब्द अंकित किया जाये.
- आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा जारी **जाति प्रमाण पत्र** की प्रति प्रस्तुत करने के लिये कहें.

नाम निर्देशन पत्रों की प्रारंभिक जॉच

- नाम – निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे दस्तावेजों का विवरण भी अंकित किया जाना है, अभ्यर्थी इसे भरकर अपने हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी लगाएगा। रिटर्निंग अधिकारी को नाम–निर्देशन पत्र प्राप्त करते समय इसकी जॉच कर लेना चाहिए।

रसीद – मिलान सूची का प्रदान किया जाना

- नामनिर्देशन–पत्र प्राप्त करने के उपरांत रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थी को विहित प्ररूप में रसीद प्रदान करेगा. यह रसीद नाम निर्देशन पत्र के साथ ही छपी हुई है.
- इस रसीद में संवीक्षा के लिये नियत दिनॉक, समय तथा स्थान की सूचना दी जाती है.
- रसीद (पावती) में अभ्यर्थी के द्वारा जो दस्तावेज/अदेयता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए हैं उनका उल्लेख किया गया है.
- जो दस्तावेज प्रस्तुत नही किए गए हैं वे कब तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं इसका भी उल्लेख है.

अन्य कागज पत्रों का प्रदाय किया जाना

महापौर/अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक को नाम निर्देशन पत्र जमा करते ही निर्वाचन व्यय लेखा से संबंधित कागज पत्र निःशुल्क प्रदाय किये जावे.

- निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2014.
- निर्वाचन व्यय का दिन प्रतिदिन का लेखा रजिस्टर.
- निर्वाचन व्ययों के सार विवरण.
- निर्वाचन व्ययों के लेखों के साथ प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ पत्र.

नामनिर्देशन पत्रों की दैनिक जानकारी

<u>प्रतिदिन 3.00 बजे के बाद तैयार की जाने वाली जानकारियां</u>

- प्ररूप–4 में एक पंजी संधारित की जावे जिसमें नामनिर्देशन पत्र में वर्णित समस्त जानकारी को रखा जावे.
- प्ररूप–4 में सूचना का प्रकाशन एवं सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजना.
- नामनिर्देशन–पत्रों का दैनिक विवरण भेजना.
- दैनिक जानकारी एवं नामनिर्देशन–पत्र की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करना.

नामनिर्देशन पत्रों की अन्तिम जानकारी

नामनिर्देशन–पत्र प्रस्तुत किए जाने की आखिरी तारीख को अन्तिम नामनिर्देशन–पत्र दाखिल हो चुकने के तुरन्त बाद नामनिर्देशन–पत्रों का समेकित विवरण निर्धारित प्ररूप में तैयार करना.

संवीक्षा से पूर्व की तैयारियां

- ✓ संवीक्षा के पूर्व , पद वार एवं अभ्यर्थीवार आवेदन पत्रों को जमा लेवें, तारीख एवं समय के मान से प्राप्त आवेदन पत्रों को, क्रमानुसार रखा जावे. एक ही अभ्यर्थी के आवेदन पत्रों को एक साथ कर लेवें. ताकि उनकी संवीक्षा एक साथ की जा सके.
- ✓ पहले अध्यक्ष/महापौर पद के लिए संवीक्षा की जावे.
- ✓ पार्षद पद की संवीक्षा वार्ड वार क्रम से की जावे.
- ✓ अपने कार्यालय में, किस पद की संवीक्षा की जा रही है, इसकी जानकारी प्रेषण हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं.

संवीक्षा से पूर्व की तैयारियां (पंचायत)

- ✓ रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा की जाना चाहिए.
- ✓ पंच पद के लिए अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण, सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी संवीक्षा कर सकते हैं, किन्तु किसी नाम निर्देशन पत्र को निरस्त किया जाना हो तो इसका विनिश्चय रिटर्निंग अधिकारी स्वयं करेगें.

संवीक्षा के समय कौन कौन उपस्थित हो सकता है

"नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा एक अर्ध न्यायिक कार्य है, अतैव यह कार्य रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा ही किया जावे"

आप एवं आपके द्वारा अधिकृत कर्मचारियों के अलावा

- ✓ अभ्यर्थी स्वयं.
- ✓ अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता.
- ✓ अभ्यर्थी का कोई एक प्रस्तावक.
- ✓ अभ्यर्थी द्वारा **लिखित** में प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति.

नाम निर्देशन पत्र को अस्वीकृत करने के आधार

- ✓ यदि अभ्यर्थी का नाम संबंधित नगर पालिका की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत न हो.
- ✓ पार्षद के मामले में प्रस्तावक संबंधित वार्ड का मतदाता न हो.
- ✓ अध्यक्ष के मामले में प्रस्तावक संबंधित नगर पालिका की मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत न हो.
- ✓ पार्षद के मामले में यदि एक से अधिक वार्ड से नाम निर्देशन पत्र भरा हो, तो समय के मान से जिस वार्ड के लिए नाम निर्देशन पत्र पहले भरा गया है उसे संवीक्षा में शामिल किया जावे, अन्य वार्ड के नाम निर्देशन पत्र को सीधे खारिज कर दिया जावे.

नाम निर्देशन पत्र को अस्वीकृत करने के आधार

- ✓ अध्यक्ष के मामले में आयु 25 वर्ष व पार्षद के मामले में आयु 21 वर्ष पूर्ण न की हो (*आयु की गणना नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के दिन से की जावेगी*).
- ✓ प्रस्तावक नामनिर्देशन पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अर्हता प्राप्त नही है अर्थात जो व्यक्ति मतदाता के रूप में किसी निरर्हता के अधीन है, प्रस्तावक के रूप में किसी नाम निर्देशन पत्र पर हस्ताक्षर करने का पात्र नही होगा.
- ✓ नाम निर्देशन पत्र पर प्रस्तावक या अभ्यर्थी के हस्ताक्षर वास्तविक नही है.

नाम निर्देशन पत्र को अस्वीकृत करने के आधार

- ✓ यदि अभ्यर्थी के द्वारा ऐसे आरक्षित पद/वार्ड से नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिससे वह संबंधित नही है.
- ✓ निक्षेप राशि जमा नही की गई है.
- ✓ नाम निर्देशन पत्र के साथ निर्धारित शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया गया है.

नाम निर्देशन पत्र को अस्वीकृत करने के आधार (पंचायत)

- ✓ पंच पद के लिए अभ्यर्थी का नाम उस ग्राम पंचायत के किसी भी वार्ड में पंजीकृत होना आवश्यक है.
- ✓ पंच पद के लिए प्रस्तावक का उसी वार्ड का मतदाता होना आवश्यक है.
- ✓ सरपंच पद के लिए अभ्यर्थी एवं प्रस्तावक का संबंधित ग्राम पंचायत का मतदाता होना आवश्यक है.
- ✓ जनपद सदस्य/जिला पंचायत सदस्य के मामले में अभ्यर्थी संबंधित जनपद/जिला की किसी ग्राम पंचायत का मतदाता होना चाहिए जबकि प्रस्तावक का उस वार्ड की किसी ग्राम पंचायत का मतदाता होना चाहिए.
- ✓ आयु 21 वर्ष से कम न हो.

नाम निर्देशन पत्र को अस्वीकृत करने के आधार (पंचायत)

✓ मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा–15 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी पंचायत के पदधारी के रूप में निर्वाचन के लिए यथास्थिति एक से अधिक वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में खड़ा होने के लिए हकदार नही है.

उदा. – पंच/सरपंच/जनपद/जिला सदस्य पद के लिए एक व्यक्ति दो भिन्न वार्ड से नाम निर्देशन पत्र जमा नही कर सकता. समय के मान से जो पहले वाला फार्म है उसे स्वीकार किया जाएगा, दूसरे को सीधे ही निरस्त कर देंगें.

अभ्यर्थियों की निरर्हताएं

कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष या पार्षद के रूप में निर्वाचन या नाम निर्देशन के लिए पात्र नही होगा, यदि वह –

- ✓ भारत का नागरिक नही है, या
- ✓ शासकीय सेवक है और वेतन या मानदेय के रूप में पारिश्रमिक पाता है, या
- ✓ परिषद के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता है, या
- ✓ स्थानीय प्राधिकारी की सेवा में है, या
- ✓ किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा विकृत चित्त या न्याय निर्णीत किया जा चुका है, या

अभ्यर्थियों की निरर्हताएं

- ✓ अनुमोचित दिवालिया है, या
- ✓ इस प्रकार के कुष्ठ रोग से पीड़ित है, जो संक्रामक है, या
- ✓ भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति अभक्ति के कारण सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की सेवा से पदच्युत (dismiss) कर दिया गया है, और उसकी ऐसी पदच्युति से पॉच वर्ष की कालावधि समाप्त नही हुई है या

अभ्यर्थियों की निरर्हताएं

- ✓ भारत के किसी न्यायालय द्वारा, किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो और दो वर्ष से अन्यून कालावधि के कारावास से दण्डादिष्ट किया गया हो, जब तक की दण्डादेश भुगतने के पश्चात उसके छोड़े जाने से 6 वर्ष की अतिरिक्त कालावधि न बीत चुकी हो, या
- ✓ मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्र के भूमि हीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदाय किया जाना) अधिनियम 1984 के किन्ही उपबंधों के या जमाखोरी या मुनाफाखोरी के निवारण का या खाद्य या औषधि के अपमिश्रण के निवारण का उपबंध करने वाली किसी विधि के किन्ही उपबंधों के उल्लंघन के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो, जब तक की दण्डादेश भुगतने के पश्चात उसके छोड़े जाने से 6 वर्ष की अतिरिक्त कालावधि न बीत चुकी हो, या

अभ्यर्थियों की निरर्हताएं

- ✓ परिषद के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई अंश या हित रखता है, जब तक ऐसा अंश या हित बना रहता है, या
- ✓ उन समस्त करों का, जो उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें निर्वाचन या नाम निर्देशन किया जाए, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंत में नगर पालिका को उसके द्वारा शोध्य हैं भुगतान, मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा इस संबंध में दी गई मांग की सूचना के प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर नही कर चुका है, या

अभ्यर्थियों की निरर्हताएं

- ✓ किसी ऐसी शैक्षिक संस्था का, जो परिषद से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है, वैतनिक कर्मचारी है, या
- ✓ सरकारी प्लीडर है, या
- ✓ यदि वह राज्य की विधानसभा के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरहित कर दिया जाता है, या
- ✓ महिला के विरूद्ध किसी अपराध का दोषसिद्ध ठहराया गया है, या

अभ्यर्थियों की निरर्हताएं

- राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल होने के कारण निरर्हित घोषित किया गया है, (मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा–32ग) या
- जिसके नाम से, मध्यप्रदेश राज्य विघुत मंडल या उसकी उत्तरवर्ती कंपनियों को देय, छः माह से अधिक कालावधि के कोई शोध्य हों

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

पंचायत निर्वाचन (नाम निर्देशन पत्रों का पुनरीक्षण)

- ✓ नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के पश्चात यदि किसी स्थान के लिए, अन्य समस्त अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र नामंजूर हो जाने के परिणाम स्वरूप केवल एक अभ्यर्थी शेष रहता है तो रिटर्निंग अधिकारी तत्काल यह तथ्य पुनरीक्षण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा.

उदा. – यदि पंच पद के किसी वार्ड से 3 अभ्यर्थियों के द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए गए। संवीक्षा में उनमें से दो नाम निर्देशन पत्र निरस्त हो गए व एक स्वीकृत हुआ।

पंचायत निर्वाचन (नाम निर्देशन पत्रों का पुनरीक्षण)

पद	पुनरीक्षण प्राधिकारी
पंच एवं सरपंच	अनुविभागीय अधिकारी
जनपद सदस्य	कलेक्टर
जिला पंचायत सदस्य	कमिश्नर

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

पंचायत निर्वाचन (नाम निर्देशन पत्रों का पुनरीक्षण)

- रिटर्निंग अधिकारी प्ररूप–5 में सूचना अपने कार्यालय के सूचना फलक पर प्रदर्शित करेगा.
- प्रश्नाधीन स्थान के लिए प्राप्त नाम–निर्देशनों से संबंधित समस्त कागज पत्र पुनरीक्षण प्राधिकारी को अधिकतम अगले दिवस 11:00 बजे तक प्रस्तुत करेगा.
- पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मामलों पर विचार करने का दिन संवीक्षा की तारीख के पश्चात का अगला दिन होगा.

पंचायत निर्वाचन (नाम निर्देशन पत्रों का पुनरीक्षण)

- ✓ यदि यह दिवस सार्वजनिक अवकाश का दिन भी है तो भी पुनरीक्षण प्राधिकारी कार्यवाही करेगा.
- ✓ पुनरीक्षण प्राधिकारी के द्वारा मामले में विचार करने के पूर्व पृथक से किसी अभ्यर्थी को कोई सूचना जारी नही की जावेगी.
- ✓ प्ररूप 5–क में जारी सूचना को ही अभ्यर्थीयों के संज्ञान में मामला होना माना जावेगा.

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

पंचायत निर्वाचन (नाम निर्देशन पत्रों का पुनरीक्षण)

- ✓ पुनरीक्षण कार्यवाही के दौरान अभ्यर्थी स्वयं या उसका प्रस्तावक पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं.
- ✓ वे अपने पक्ष में तथ्य भी प्रस्तुत कर सकते हैं.
- ✓ पुनरीक्षण प्राधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामंजूर किए गए नाम–निर्देशन पत्रों का एक एक करके परीक्षण करेगा.

पंचायत निर्वाचन (नाम निर्देशन पत्रों का पुनरीक्षण)

- ✓ यदि पुनरीक्षण प्राधिकारी यह पाता है कि किसी नाम निर्देशन पत्र को गलत नामंजूर किया गया है, तो वह लेख बद्ध किए जाने वाले कारणों सहित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पारित आदेश का पुनरीक्षण करते हुए ऐसे नाम–निर्देशन पत्र को वैध घोषित करेगा.
- ✓ पुनरीक्षण प्राधिकारी मामले का तत्परता से निपटारा करेगा और मामले की नस्ती को अपने आदेश की अभि प्रमाणित प्रति के साथ शीघ्रता से रिटर्निंग अधिकारी को वापस करेगा.

पंचायत निर्वाचन (नाम निर्देशन पत्रों का पुनरीक्षण)

- ✓ किसी भी स्थिति में पुनरीक्षण प्राधिकारी अभ्यर्थिता वापसी के लिए नियत की गई अंतिम तारीख को 2:00 बजे अपरान्ह के पूर्व नस्ती रिटर्निंग अधिकारी को वापस करेगा.
- ✓ नस्ती प्राप्त होने पर रिटर्निंग अधिकारी प्ररूप–5 में विधिमान्य नामनिर्देशित अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित करेगा.

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

पंचायत निर्वाचन (नाम निर्देशन पत्रों का पुनरीक्षण)

यदि पुनरीक्षण प्राधिकारी मामले को पूर्वोक्त समयावधि में निराकृत कर पाने मकें असफल रहता है तो रिटर्निंग अधिकारी प्रश्नाधीन स्थान के लिए निर्वाचन स्थगित कर देगा तथा स्थिति के बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से आयोग को प्रतिवेदन भेजेगा

अभ्यर्थिता का वापस लिया जाना

- कोई भी अभ्यर्थी संवीक्षा के तत्काल बाद से नाम वापसी की नियत तिथि व समय तक प्ररूप –6 में आवेदन परिदत्त कर अपनी अभ्यर्थिता वापस ले सकेगा.
- अभ्यर्थिता वापस लिए जाने का आवेदन अभ्यर्थी स्वयं या उसका प्रस्तावक या उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत निर्वाचन अभिकर्ता के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा.
- जब आवेदन प्रस्तावक या अभ्यर्थी द्वारा लिखित में प्राधिकृत निर्वाचन अभिकर्ता के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तब आवेदन पत्र के साथ नाम निर्देशन पत्र की मूल अभिस्वीकृति प्रस्तुत की जाना अनिवार्य है.

अभ्यर्थिता का वापस लिया जाना

- अभ्यर्थिता वापस लिए जाने के आवेदन पत्र के संबंध में उसकी प्रमाणिकता और उसे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति की पहचान के संबंध में पूरा समाधान कर लेना चाहिए.
- यदि अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित न हो तो अभ्यर्थी के द्वारा दिए गए अधिकार पत्र में के हस्ताक्षर का मिलान नाम निर्देशन पत्र में अभ्यर्थी के द्वारा किए गए हस्ताक्षर से कर लेना चाहिए.
- अभ्यर्थी के स्वयं उपस्थित न होने की दशा में आवेदन पत्र किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया यह अंकित कर लेना चाहिए.
- अभ्यर्थिता वापस लिए जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्ररूप–7 में तैयार कर सूचना पटल पर प्रदर्शित की जावे.

अभ्यर्थिता का वापस लिया जाना

- अभ्यर्थिता वापस लिए जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्ररूप–7 में तैयार कर रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जावे

- एक बार अभ्यर्थिता वापस लेने का आवेदन दे दिए जाने के उपरांत उसे वापस नही लिया जा सकता

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

- ✓ निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थीयों से आशय उन अभ्यथियों से है, जिनके नाम संवीक्षा में बैध पाए गए हैं और जिन्होने अपनी अभ्यर्थिता वापस नही ली है.
- ✓ यह सूची नाम–निर्देशन पत्र के **क्रमांक–20** में अंग्रेजी में अंकित अभ्यर्थी के नाम के अनुसार अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते क्रमानुसार तैयार की जावेगी.
- ✓ सूची में अभ्यर्थी का नाम उसी प्रकार लिखा जाए जिस प्रकार अभ्यर्थी ने अपने नाम निर्देशन पत्र की **क्रमांक–19** में लिखा है.

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

उदाहरण :– यदि वार्ड क्रमांक 01 से पार्षद पद के लिए निम्न अभ्यर्थियों के द्वारा नाम–निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए गए हैं

राजा भाई	Raja Bhai	(3)
दीपक	Deepak	(1)
रामगोपाल	Ramgopal	(4)
राममोहन	Rammohan	(5)
गीतेश	Geetesh	(2)
सूर्यकांत	Suryakant	(6)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

✓ यह सूची तैयार करने के लिए अभ्यर्थीयों को निम्नलिखित प्रवर्गों में वर्गीकृत किया जावेगा –

1. मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी
2. पंजीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी
3. अन्य अभ्यर्थी (निर्दलीय)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

- ✓ उपर्युक्त वर्णित प्रवर्ग विर्निदिष्ट क्रम में रखे जाऐंगें तथा प्रत्येक प्रवर्ग में अभ्यर्थी का नाम अंग्रेजी वर्णक्रमानुसार रखा जावेगा अर्थात पहले मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी के नाम वर्णक्रमानुसार लिखे जावेंगें, फिर पंजीकृत दल के अभ्यर्थी के नाम इसी प्रकार लिखे जावेंगें और अंत में स्वतंत्र अभ्यर्थियों के नाम लिखे जावेंगे.

प्रतीक चिन्ह का आवंटन

प्रतीक चिन्ह दो प्रकार के हैं –

1. आरक्षित प्रतीक
2. मुक्त प्रतीक

आरक्षित प्रतीक से आशय किसी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के लिए आरक्षित प्रतीक से है, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल वे राजनैतिक दल हैं, जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश 1968 के अंर्तगत् राष्ट्रीय दल या म0प्र0 में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हैं

मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के अभ्यर्थी

किसी अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त दल द्वारा खड़ा किया हुआ तभी माना जावेगा, यदि –

- ✓ अभ्यर्थी के द्वारा नाम निर्देशन पत्र में इस आशय की घोषणा की गई हो; और
- ✓ नाम वापसी की तिथि के अपरान्ह 3.00 बजे के पूर्व तक इस आशय की एक सूचना प्ररूप 8 में रिटर्निंग अधिकारी को लिखित में परिदत्त कर दी गई हो तथा उसकी प्रज्ञापना जिला निर्वाचन अधिकारी को भी दी गई है; और

मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के अभ्यर्थी

- ✓ प्ररूप 8 की सूचना, दल की जिला इकाई के किसी ऐसे पदधारी द्वारा हस्ताक्षरित की गई है, जो दल की राज्य इकाई द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो; और
- ✓ ऐसे प्राधिकृत पदधारी का नाम तथा नमूना हस्ताक्षर रिटर्निंग अधिकारी को प्ररूप 9 में संसूचित कर दिया गया है तथा उसकी प्रज्ञापना जिला निर्वाचन अधिकारी को भी दी गई है

प्रतीक चिन्ह का आवंटन

- सर्वप्रथम मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के अभ्यर्थियों को उस दल के लिए आरक्षित प्रतीक चिन्ह आवंटित कर दिए जावेंगें.
- मुक्त प्रतीकों का आवंटन करते समय , उनके द्वारा नाम निर्देशन पत्र में अंकित उनकी पसंद का ध्यान रखा जावेगा.
- अभ्यर्थी केवल राज्य निर्वाचन द्वारा आरक्षित मुक्त प्रतीकों में से ही अपने पसंद के प्रतीक नाम निर्देशन पत्र में वर्णित कर सकते हैं.

प्रतीक चिन्ह का आवंटन

- अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम नाम निर्देशन पत्र में अंकित प्रतीकों पर ही विचार किया जाना चाहिए.
- भले ही प्रथम नाम निर्देशन पत्र संवीक्षा के दौरान खारिज कर दिया गया हो.
- यदि एक ही मुक्त प्रतीक चिन्ह एक से अधिक अभ्यर्थियों की प्रथम प्राथमिकता में भरा गया है, तो उनमें लाट निकालकर यह तय किया जावेगा कि वह प्रतीक चिन्ह किस अभ्यर्थी को प्राप्त होगा.

प्रतीक चिन्ह का आवंटन

- लाट निकाले जाने की प्रक्रिया का कार्यवाही विवरण तैयार किया जावे और अभ्यर्थी या उसके प्रस्तावक के हस्ताक्षर प्राप्त किए जावें.

- जब प्रथम वरीयता के प्रतीक चिन्ह का आवंटन हो जावे तो द्वितीय वरीयता के प्रतीक चिन्ह को देखा जावे, यदि ये प्रतीक चिन्ह भी एक से अधिक अभ्यर्थी के द्वारा चाहे गए हैं तो उनके मध्य लाट निकालकर फेसला लिया जावे, पुनः तीसरे क्रम के प्रतीक चिन्ह के साथ भी इसी प्रक्रिया को दोहराया जावे.

प्रतीक चिन्ह का आवंटन

- जब प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय क्रम के सभी प्रतीक चिन्हों का आवंटन हो जावे और कोई अभ्यर्थी ऐसा रह जावे जिसे अपनी पसंद का कोई भी प्रतीक चिन्ह प्राप्त न हुआ हो, या
- यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा अपने प्रथम नाम निर्देशन पत्र में किसी भी प्रतीक चिन्ह का उल्लेख न किया हो तो तब.
- मुक्त प्रतीक चिन्ह की सूची के क्रम में जो सबसे उपर प्रतीक चिन्ह हो और जिसका आवंटन नही किया गया हो उसे अभ्यर्थीयों को वर्णक्रमानुसार बंटित किया जावे.

प्रतीक चिन्ह का आवंटन (पंचायत)

- पंचायत निर्वाचन में किसी भी अभ्यर्थी को अपनी पसंद का प्रतीक चिन्ह चुनने की सुविधा नही है.
- रिटर्निंग अधिकारी भी किसी अभ्यर्थी को अपने मन से कोई प्रतीक आबंटित नही कर सकता.
- पद विशेष के लिए निर्धारित प्रतीक चिन्हों में से क्रमानुसार प्रतीक चिन्ह आबंटित किए जाएगें.

उदा0 पंच पद के लिए प्रथम क्रमांक वाला प्रतीक चिन्ह सीढ़ी प्रथम अभ्यर्थी को दिया जाएगा. दूसरे नंबर वाले अभ्यर्थी को द्वितीय क्रमांक पर अंकित प्रतीक चिन्ह फावड़ा मिलेगा.

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

प्रतीक चिन्ह का आवंटन (पंचायत)

पद	प्रतीक
जिला पंचायत सदस्य	39
जनपद सदस्य	23
सरपंच	24
पंच	10
अतिरिक्त	24

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

प्रतीक चिन्ह का आवंटन (पंचायत)

पंच पद के लिए निर्धारित प्रतीक

क्रमांक	प्रतीक	क्रमांक	प्रतीक
1	सीढ़ी	6	बिजली का स्विच
2	फावड़ा	7	मक्के का भुट्टा
3	बाल्टी	8	कैंची
4	हल	9	केतली
5	कुल्हाड़ी	10	बेलन

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

प्रतीक चिन्ह का आवंटन (पंचायत)

बहुलता की स्थिति में अतिरिक्त प्रतीक

क्रमांक	प्रतीक	क्रमांक	प्रतीक
1	बनियान	20	डोली
2	कमीज	21	आईसक्रीम
3	फ्राक	22	शटल
4	गुलाब का फूल	23	टेन्ट
5	पोत	24	छड़ी

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराए जाने वाले कागज–पत्र

- ✓ रिटर्निंग आफिसर द्वारा निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को उसे आवंटित प्रतीक चिन्ह का नमूना
- ✓ निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची
- ✓ मतदान केन्द्रों की सूची
- ✓ आदर्श आचार संहिता की प्रति
- ✓ अभ्यर्थी का पहचान पत्र

निःशुल्क प्रदान किए जाने चाहिए

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

THANK YOU

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग